(7)

[illegible] ने आवेदन किया है उसके पिता [illegible] जाति भूमि खाता नं. 99 [illegible] जमाबन्दी सम्वत 2075-78 में [illegible] जमाबन्दी सम्वत 2025-2028 की जमाबन्दी खाता [illegible] में आवेदी के दादाजी माधोसिंह पुत्र फतेसिंह [illegible] दर्ज है [illegible] पिता की जाति राजपूत [illegible] है।

[illegible] रिपोर्ट पटवारी जमाबन्दी सम्वत 2033 से 2036 में प्रार्थी के पिता माधोसिंह पुत्र फतेसिंह की जाति राजपूत दर्ज है। फिर जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 के खाता नं. 72 में मूलसिंह पुत्र माधोसिंह पिता कीनाराम जाति जाट राजपूत किया जाना उचित है।

13/3/2022

निगोर्ट पटवारी, SLR से त्रुटि ठीक करने की अनुशंसा की जाती है।

तहसीलदार (भू. अ.)
नीमकाथाना

मुताबिक रिपोर्ट प्रार्थना स्वीकार किया जाता है। आदेश पृथक से जारी हो।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)